न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 241/2023

उनवान

देबी लाल पिता रामनाथ गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– प्रसादी पत्नी देवा बलाई निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
2– रायमल पिता देवा गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
3– देबी पिता मोती गूर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
4– श्रवण पिता हजारी गूर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
5– उदा पिता रामा जाट निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
6– प्रभु पिता हीरा गूर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा
7– भुवाना पिता धन्ना गूर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री कैलाश चन्द्र सुवालका : अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **19/02/2024**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम खेड़ी **खुर्द** पटवार **हल्का गिरड़िया** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर** 199 **रकबा** 0.30 है0, 203 **रकबा 0.62 है0, 204 रकबा 0.05 है0, 205 रकबा 0.50 है0, 206 रकबा 0.64 है0, 207 रकबा 0.27 है0,** 490 **रकबा 0.03 है0, 491 रकबा 0.57 है0, 492 रकबा 0.31 है0, 493 रकबा 0.32 है0, 494 रकबा 0.57 है0, 547 रकबा 0.34 है0, 765/210 रकबा 0.11 है0** कुल किता 13 रकबा 4.63 हैक्टेयर का **प्रार्थी** खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के **विपक्षीगण** पड़ौसी है। **प्रार्थी** एवं **विपक्षीगण** के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण** बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक **प्रार्थी** सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया** संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी** में दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **खेड़ी खुर्द** में स्थित **प्रार्थी** की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् **किता 13 रकबा 4.63 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2500/–** रूपये कायम किये जाते है, जो **प्रार्थी** से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19/02/2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहयक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा